न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 09 / 2020

रतन सिंह पुत्र रोहिताश सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी टोली तन राजपुताना (रामकुमारपुरा),तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम रतन सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 128 / 2019 निर्णय दिनांक 13.11.2019

उपस्थितिः—

1 .श्री द्वारका प्रसाद सैनी ,एडवोकेट ———— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 29.10.2020

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.11.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रतनसिंह मु0नं0 128 / 2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— पटवारी हल्का रामकुमारपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 1696 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 160 वर्ग मीटर पर अपीलांट द्वारा तारबंदी व पारा लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा 91 ले.रे एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट की माता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 के तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 1696 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.10.29 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

पहाड़ के रकबा 160 वर्ग मीटर से बेदखल किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध कानून, न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने उक्त जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि अपीलांट के पूर्वजों के समय करीब 50–60 वर्ष पुराना कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के पास रिहायश के लिए अन्य कोई जमीन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के कोई बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने जमीन रकबा 160 वर्ग मीटर का किस प्रकार नाप कर क्षेत्रफल दर्ज किया जो अस्पष्ट है। अपीलांट बाहर मजदूरी के लिए गुजरात रहता है। धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस अपीलांट की माता को दिया गया है और उसकी माता से जवाब लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 13.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– विवादितत भूमि पर अपीलांट के पिता के समय से काफी वर्षो करीब 50–60 वर्ष पुराना कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के पास रिहायश के लिए अन्य कोई जमीन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के कोई बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने जमीन रकबा 160 वर्ग मीटर का किस प्रकार नाप कर क्षेत्रफल दर्ज किया जो अस्पष्ट है। अपीलांट बाहर मजदूरी के लिए गुजरात रहता है। धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस अपीलांट की माता को दिया गया है और उसकी माता से जवाब लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अतः निर्णय दिनांक 13.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 1696 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 160 वर्ग मीटर पर तारबंदी व पारा लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.10.29 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested

नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि राजकीय भूमि है और अभी तक नियमन नहीं हुआ है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस के साथ अधीनस्थ न्यायालय में एवं अपील के साथ इस न्यायालय में इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा पुराना एवं वैद्य हो । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 13.11.2019 उनवानी सरकार बनाम रतन सिंह मु0नं0 128/2019 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.10.29 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested